


दिनांक... 14-7-22... को पेश हो

14-7-22-पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी
अनुपस्थित। वकील अपार्थी उपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-
बार आवाज दिलवाने के बावजूद पार्थी-
गण व वकील पार्थी में से कौन उपस्थित
नहीं। अतः अदम हाजरी/अदम पैसे में
पार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



सुशारदा देवी
14/7/2022